Rev

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169, चितवन स्टेट, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्व नगर (उ0प्र0)

कार्यालय आदेश

पत्रांक संख्या-उ0मु0का0अधि0/2010 ...... दिनांक-......2010

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 81वी बैठक दिनांक 6.11.2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राधिकरण की आवासीय नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है -

1 कोई व्यक्ति अथवा उसके परिवार का सदस्य प्राधिकरण, से केवल एक बार ही भूखण्ड/भवन आवंटन की सुविधा हेतु पात्र होगा। यदि वह इस आवंटित भूखण्ड /भवन को विक्रय कर देता है तो भी वह आगे की प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड/भवन आवंटन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अथवा उसका परिवार मार्केट से एक से अधिक भूखण्ड/भवन/फ्लैट क्रय कर सकता है।

2. बंधक अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक को प्रोसेसिंग फीस मद में 1000/- रुपये का भुगतान करना होगा।

3. आवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों को आवंटित भूखण्ड/ भवन/फ्लैट का लीज रेन्ट एकमुश्त अथवा वार्षिक लीजरेन्ट जमा करने का विकल्प होगा।

4. वार्षिक लीजरेंट भुगतान का विकल्प चुनने वाले आवंटियों की दशा में, यदि भूखण्ड / भवन/फ्लैट विक्रय कर दिया जाता है तो जिस दिनांक को ट्रांसफर मैमोरेंडम निर्गत किया जाता है उस दिनांक से क्रेता से वार्षिक लीजरेंट ट्रांसफर मैमोरेंडम निर्गत करने के दिनांक को प्रचलित प्रीमियम का 1% लिया जायेगा।

5. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आंवटित आवासीय भवन/फ्लैट की दशा में केवल भूमि मूल्य पर लीज रेन्ट लिया जायेगा। निर्माण मूल्य पर लीजरेन्ट आरोपित नही किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

Manoj 13.5.10

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)
3- समस्त महाप्रबन्धक ।
4- समस्त प्रबन्धक ।
5- गार्ड फाईल ।

(.....)